(89)

संख्याः– /XIV–1/13–5(4)/2009

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉं,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून, दिनॉंक 06 फरवरी, 2013

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पत्र संख्या रा0स0वि0नि0:3–29(10)2010–आईसीडीपी(223)(A120024) दिनांक 30 जुलाई, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्धारित शर्तों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप जनपद उत्तरकाशी में "एकीकृत सहकारी विकास परियोजना" के कार्यान्वयन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. प्रकरण में आपके पत्र संख्याः–5195/नियो0/आई0सी0डी0पी0–उत्तरकाशी/2012–13 दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में **₹1,55,73,000/–(रूपये एक करोड़ पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाएगी तथा उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित परियोजना को उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:–

(1) स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति से शासन को त्रैमासिक रूप से अवगत कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणो की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

(3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर निर्गत शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी।

(5) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितिया, उत्तराखण्ड की होगी।

(6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

(7) पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लाई जायेगी। परियोजना का नियमानुसार लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

3. इस शासनादेश के प्रस्तर–1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तो के अनुपालन विभागों /उपकमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो से किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

4. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामे डाला जायेगा–

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान सं0–18

लेखाशीर्षक	वर्तमान स्वीकृति
2425–सहकारिता–आयोजनागत 00– 800–अन्य व्यय 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3518
4425– सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत 00– 200–अन्य निवेश 03–समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) 00–30–निवेश/ऋण	6099
6425–सहकारिता के लिए कर्ज–आयोजनागत 00– 800–अन्य कर्ज 04–एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 30–निवेश/ऋण	5956
योग–	**15573**

(एक करोड़ पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र)

5. ये आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–152(P)/XXVII–4/2013 दिनांक 05 फरवरी, 2013 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्याः–297(1)/XIV–1/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), 4, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया,हौज खास, नई दिल्ली को अवमुक्त धनराशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किए जाने सम्बन्धी अनुरोध के साथ प्रेषित।
5. जिलाधिकारी/जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरकाशी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उपसचिव।